

**Compliance Report on behalf of Nagar Nigam, Dehradun
(Respondent No. 4)**

In matter of

Original Application No. 417/2022

Niranjan Bagchi Versus State of Uttarakhand

1. That the Hon'ble Tribunal, in the above-noted matter in para no. 12 of the order dated 13.05.2024, was pleased to direct as under: -

"...12. Coming on the question of encroachment, Mr. Gaurav Kumar, Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun made a statement before Tribunal that all the encroachments made on Flood Plain Zone of the river concerned shall be removed by 30.06.2024."

2. That in compliance of the aforesaid directions, it is humbly stated that the Irrigation Department is the nodal agency for flood plain zoning. The Irrigation Department has informed Nagar Nigam, Dehradun that the process of flood plain zoning involves six steps out of which the following three steps have been completed:-

- i. Data Preparation, Flood Frequency Analysis, Rainfall Analysis & Catchment Delineation
- ii. Hydrological of Hydraulic flood flows for different return period using HEC-RAS
- iii. Preparing flood zone maps and reports, ground truth verification has been completed.



The remaining three steps are in process: -

- i. Interim Notification and asking for objections and disposal.
- ii. Final notification and marking of flood lines on Sharja Sheets.
- iii. Installation of pillar at site.

In this connection copy of letter of the Irrigation Department is being marked and filed as **Annexure No. 1** to this report.

3. That with regard to taking appropriate action for removal of the encroachment, it is crucial to state that vide Notification dated 26.07.2018 bearing no. 273/XXXVI/(3)/2018/53(1)/2018, the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities Act, 2018 has been enacted. Section 4(2) and 4(3) of the said Act provides as under: -

“(2) Status quo may be maintained according to the situations as on dated 11.03.2016 in the matters described in sub-section (1) in addition to the matters related to any Judgment, decree and orders of the courts under the provisions given in sub-section (1).”

“(3) Any punitive action in consequence of all notices issued by any local body/authority in the related matters of unauthorized construction referred to in sub-section(1), shall be suspended for further three years from the commencement of this Act and no punitive action shall be taken during this period.”



4. That the aforesaid provision was amended vide the Uttarakhand Special Provisions for Urban Bodies and Authorities (Amendment) Act, 2021 and the period of three years was substituted with six years.
5. That in light of the immunity granted under Section 4 (2) and (3) of the Act of 2018 and the subsequent amendment made thereto in 2021, status quo has to be maintained and no punitive action can be taken against the encroachers established alongside river Rispana till the year 2024.
6. Therefore, in order to identify and remove encroachment after 11.03.2016 as per the revenue record, the Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun formulated a Task Force to take necessary action. In this connection, copy of the letter dated 25.04.2024 vide which Task Force was formulated is being marked and filed as **Annexure No. 2** to this report.
7. That the task force identified 89 encroachments on the land under control and jurisdiction of Municipal Corporation. Notices were issued to the encroachers on 08.05.2024, asking them to remove the encroachments voluntarily or face legal action by Nagar Nigam. The notices also requested evidence of residency before the cutoff date of 11.03.2016. In response, 47 residents submitted claims of residency before 11.03.2016 to Nagar Nigam, Dehradun. Only 20 of these claims were supported by valid proof, leading to their exclusion from the encroachment drive and the



same are not removed due to the Act of 2016. The remaining 69 encroachments were removed in accordance with the law on municipal land. In this connection copy of report is being marked and filed as **Annexure No. 3** to this report.

8. That the Hon'ble Tribunal was further pleased to issue the following direction in the last hearing: -

"...11. On the issue of discharge of polluting material through sewage (treated-not meeting the parameters/untreated) in the river, Mr. Gaurav Kumar, Municipal Commissioner, Nagar Nigam, Dehradun, who is present in person, made a statement that he shall take all possible steps to ensure that within two months, no such discharge is allowed in the concerned river...."

9. That in compliance of the aforementioned directions, on 21.05.2024 a joint inspection was conducted by Municipal Commissioner, Nagar Nigam along with the Executive Engineer Jal Sansthan, Jal Nigam and UKPCB at the Rispana River and various directions were issued to the executing agencies. Further, in compliance of the directions issued by Nagar Nigam, Dehradun, Uttarakhand Peyjal Nigam informed that out of 199 drains, 167 drains have been tapped by interception and diversion of drains into Sewage Treatment Plants(STP). It is pertinent to mention that STPs have been set up and are under the control of the Jal Sansthan. Out of the remaining 32 untapped drains, No Action is required in 5 drains as these drains are either dried up or do not carry polluted water. Further, the Peyjal Nigam is laying sewer



lines for tapping of 2 drains which is under construction and the laying of sewer network in the catchment of 01 drain is in progress by UUSDA. The Sewer Network is already laid in the catchment of the remaining 24 drains and process of making household connections in to the existing sewer network is in progress by the Uttarakhand Jal Sansthan. After completion of that no discharge from these 24 drains will enter in to the river Rispana.

In this connection, copy of report is being marked and filed as **Annexure No.4** to this report.

10. That the Uttarakhand Jal Sansthan informed the Nagar Nigam, Dehradun that in compliance of the directions of the Hon'ble Tribunal, the Jal Sansthan conducted a spot inspection/survey of the people residing on the banks of River Rispana. In the said survey it was found that 1284 were families residing on the bank of river Rispana, 676 families had their septic tank, 255 families had sewer connections. The remaining households' connections are in process by the Uttarakhand Jal Sansthan and will be completed in the due course of time as assured by Uttarakhand Jal Sansthan. In this connection, copy of report is being marked and filed as **Annexure No. 5** to this report.
11. That the Uttarakhand Pollution Control Board submitted an analysis report of water samples obtained from the laboratory taken from river Rispana, near Deep Nagar, Dehradun, River Rispana near Chunna Bhaata Dehrdaun and 20 MLD STP, Mothrowala to Dehradun Nagar Nigam, Dehradun which are all



within the standard parameters. In this connection copy of lab report is being marked and filed as Annexure No.6 to this report.

12. It is pertinent to mention that Section 33 of the U.P. Water Supply and Sewerage Act, 1975 as applicable in the State of Uttarakhand vests the water supply and sewerage services in the Jal Sansthan. The same is reproduced for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal: -

"...33. Vesting of existing water supply and sewerage services in Jal Sansthans.-

(1) Wherever a Jal Sans than is constituted by the State Government under Section 18-

(a) all the existing water supply services, and where the Jal Sansthan undertakes the functions specified in clause (ii) of Section 24 all the existing sewerage services, sewage works and sewage farms, including, as the case may be, all plants, machineries. waterworks. pumping stations, filter beds. water mains and public sewers in, along, over or under any public street, and all buildings, lands and other works, materials, stores and things appertaining thereto, belonging to or vested in every local body within the area of the Jal Sansthan;

(b) so much of the sub-soil appertaining to the said water mains and sewers as may be necessary for the purpose of enlarging, deepening or otherwise repairing or maintaining, any such water mains and sewers or any pipes and other appliances and of water tax and sewerage tax, by whatever name called, and of any cost or fees relating to water supply and sewerage services and also



including liabilities arising from any loans advanced by the Government or any other person to the said local body for the things aforesaid other than loans diverted to or utilised for purposes other than those referred to in clauses (a) and (b), shall with effect from the date of the constitution of the Jal Sansthan (hereinafter in this Chapter referred to as "the said date'), vest in and stand transferred to the Jal Sansthan and be subject to its control..."

The report is being submitted for the perusal of the Hon'ble NGT



प्रेषक,

अधीक्षण अभियन्ता,
परियोजना मण्डल,
देहरादून।

प्रेषित,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

पत्रांक:-2842/प0म0दे0/

दिनांक:-12/07/2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन सं0-417/2022 के कम में देहरादून नगर निगम, क्षेत्र के रिस्पना नदी के बाढ परिक्षेत्रण कार्य के अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कम में अवगत कराना है कि दिनांक 11.07.2024 को अपराहन 12.00 बजे आपके कार्यालय के आहूत बैठक में रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण के विषय में चर्चा हुई, बैठक में आपके द्वारा दी गई वांछना अनुसार गठन के सम्बन्ध में वांछित आख्या संलग्न कर आपको आवश्यक कार्य वाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार
एवं बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता
परियोजना मण्डल,
देहरादून।

पत्रांक:- /अ0नि0ख0दे0/ तदिनांक

प्रतिलिपि-प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

भवदीय

अधीक्षण अभियन्ता
परियोजना मण्डल,
देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन
सं0—417/2022 के क्रम में देहरादून नगर निगम क्षेत्र के रिस्पना नदी के
बाढ परिक्षेत्रण कार्य के अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण हेतु Suprintending Engineer, Hydraulic Circle, Bahadarabad (IRI Roorkee) Irrigation Department, Haridwar, Uttarakhand के अनुबंध सं0— 01/SE(HYD)/ FPZ/ 2020-21 में Visiontek Consultancy Services का चयन किया गया था। नगर निगम, क्षेत्र देहरादून के अन्तर्गत रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण के कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है।

अधिशाली अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद के पत्र सं0—415/ज0वि0ख0/ FPZ, दिनांक 15.05.2024 (सलंगनक-1) के द्वारा सूचित किया गया कि रिस्पना नदी के बाढ मैदान परिक्षेत्रण का अध्ययन कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं भौतिक सीमांकन हेतु Consultant की दो टीमों लगा दी गई है, दिनांक 15.05.2024 को Consultant की टीम के साथ इस खण्ड के सहायक अभियन्ताओं एवं अपर सहायक अभियन्ताओं द्वारा स्थल पर भौतिक सीमांकन का कार्य दिनांक 15.05.2024 से प्रारम्भ कर दिनांक 24.05.2024 को पूर्ण कर लिया गया है, भौतिक सीमांकन का कार्य पूर्ण होने की सूचना इस कार्यालय के पत्रांक सं0—1310/अ0नि0ख0दे0 /FPZ, दिनांक 24.05.2024 (सलंगनक-2) द्वारा अधिशाली अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद को प्रेषित कर लिया गया था।

अधिशाली अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद के उपरोक्त पत्रांक में सीमांकन के पश्चात प्रतिसिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली सम्पतियों का ब्योरा तैयार कर बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार अंतरिम एवं अन्तिम अधिसूचना निर्गत की जाएगी एवं उसके बाद स्थाई स्तम्भ लगाए जाएंगे, के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक सं0—1320/अ0नि0ख0दे0/बाढ मैदान परिक्षेत्रण, दिनांक 25.05.2024 (सलंगनक-3) में जिलाअधिकारी महोदया को फिल्ड में सीमांकन कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बाढ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिसिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसम्पतियों के स्वामियों का विवरण तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभिन्न विभागों की समिती गठित करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में जिलाअधिकारी महोदया के आदेश सं0—121/एल0बी0सी0—2024 (सलंगनक-4) के द्वारा विभिन्न विभागों की टीम का गठन निम्न प्रकार किया गया है।

1. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
4. उप जिलाअधिकारी (सदर) देहरादून।

5. अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद (आई0आर0आई0 रुडकी) हरिद्वार।
6. अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून।


जिलाधिकारी महोदया के उपरोक्त आदेश के क्रम में कार्यालय तहसीलदार (सदर) के पत्रांक सं0-1012/आर0सी0/2024, दिनांक 21.06.2024 (सलंगनक-5) द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों के राजस्व उपनिरीक्षकों को वांछित अभिलेख सजरा सीट एवं बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में आने वाली स्वामियों की परिसम्पती का विवरण अतिशीघ्र तैयार किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

अवगत कराना है कि सम्बन्धित क्षेत्रों के राजस्व उपनिरीक्षकों द्वारा दिनांक 06.07.2024 से प्रारम्भ कर आतिथि तक कार्य प्रगति पर है एवं बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की सीमा में आने वाले विभिन्न विभागों की परिसम्पतियों का विवरण सम्बन्धित क्षेत्र के राजस्व उपनिरीक्षकों को उपलब्ध/चिन्हित कराए जाने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक-1739/अ0नि0ख0दे0, दिनांक 10.07.2024 (सलंगनक-6) के द्वारा अवगत कराया गया है।


रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण कार्य जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद द्वारा किया जा रहा है, जिसकी Approach & Methodology का विवरण निम्नानुसार है।

- 1- Data Preparation, Flood Fequency Analysis, Rainfall Analysis & Catchment Delineation.
- 2- Hydrological an Hydraulic flood flows for Different return period using HEC-RAS
- 3- Preparing flood zone maps and report preparation, Ground truth verification.
- 4- Interim Notification and asking for objections and disposal.
- 5- Final notification & Marking of flood lines on Shajra Sheets.
- 6- Installation of Pillars at Site.

माननीय एन0जी0टी0 के द्वारा दिनांक 13.05.2024 को रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का Demarcation हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में दिनांक 12.07.2024 तक फिल्ड वेरिफिकेशन का कार्य पूर्ण कर दिया गया है एवं उक्त Demarcation को सजरा सीट में भी अंकित कर दिया गया है तथा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की सीमा में आई परिसम्पतियों के स्वामियों के विवरण तैयार करने का कार्य राजस्व उपनिरीक्षकों द्वारा जारी है, जिसको पूर्ण करने के उपरान्त Flood Plain Zone का उपरोक्त बिन्दु सं0-04 से 06 तक का कार्य शासन स्तर द्वारा सम्पादित किया जाएगा।


अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून।




अधीक्षण अभियन्ता
परियोजना मण्डल,
देहरादून।

कार्यालय
अधिशारी अभियंता
जल विज्ञान खंड, बहादुराबाद

पत्रांक - 415 / ज.वि.ख./FPZ

दिनांक - 15.05.2024

विषय - रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र का सीमांकन विषय जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून का पत्रांक 50/LBC-2024 दिनांक 13 मई 2024 एवं आपका पत्रांक 745/ज०वि०म०/एन०जी०टी० दिनांक 15.05.2024।

अधीक्षण अभियंता, जल विज्ञान भण्डल, बहादुराबाद।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या 417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखंड राज्य में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 13.05.2024 को सुनवाई में मा० एन० जी० टी० द्वारा रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र का यथाशीघ्र सीमांकन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्र का अध्ययन कार्य पूर्ण करने के उपरांत, भौतिक सीमांकन करने हेतु अनुसन्धान एवं नियोजन खंड, देहरादून एवं सिचाई खंड, देहरादून के सहयोग हेतु Consultant की दो टीम को लगा दिया गया है एवं सीमांकन का कार्य अनुसन्धान एवं नियोजन खंड, देहरादून द्वारा आज दिनांक 15.05.2024 को प्रारंभ कर दिया गया है। सीमांकन के पश्चात् प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली सम्पत्ति का व्यौरा तैयार कर बाढ़ मैदान परिक्षेत्र अधिनियम- 2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार अंतरिम एवं अंतिम अधिसूचना निर्गत की जाएगी एवं उसके बाद स्थायी स्तम्भ (Pillar) लगाये जायेंगे। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(जयेंद्र सिंह)

अधिशारी अभियंता

जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद

पत्रांक - 415 / ज.वि.ख./FPZ तददिनांक - 15.05.2024


प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. अधिशारी अभियंता, अनुसन्धान एवं नियोजन खंड, देहरादून।
2. अधिशारी अभियंता, सिचाई खंड, देहरादून।


(जयेंद्र सिंह)

अधिशारी अभियंता

जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

पत्रांक:- 1310 /अ0नि0ख0दे0/FPZ

दिनांक: 24/05/2024

विषय:- रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का सीमांकन किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 415/ज0वि0ख0/FPZ, दिनांक 15.05.2024।

जिलाधिकारी, महोदय देहरादून का पत्रांक 50/LBC-2024, दिनांक 13.05.2024।

अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादुरगढ़, हरिद्वार।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के क्रम में इस कार्यालय का पत्रांक-1280/अ0नि0ख0दे0/FPZ, दिनांक 18.05.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के फील्ड में सीमांकन के पश्चात् नदी की चौड़ाई में हुई कमी के पश्चात् 25 साल एवं 100 साल की बाढ़ आवृत्ति में आने वाले Flood के Hydraulic Parameter यथा Discharge Density, Velocity, River Gradient, Scourdepth आदि का अध्ययन यदि आपके द्वारा पूर्ण करा लिया गया हो, तो उसकी रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करने की अपेक्षा की गई थी। दिनांक 22.05.2024 को नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत रिस्पना नदी के शेष रीच में Visiontech Consultancy Services के 02 कन्सलटेन्ट टीम के Mr. Litu Swain एवं Mr. Jhantu Pandit के द्वारा इस खण्ड के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा का सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस खण्ड के सहायक अभियन्ता-तृतीय व सप्तम् की आख्या के क्रम में एवं अधोहस्ताक्षरी के साइट निरीक्षण करने पर रिस्पना नदी के शेष भाग में कतिपय स्थलों पर जो तथ्य उजागर हुये है, सारणी के अनुसार निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	स्थान/बिन्दु	चैनेज कि0मी0	25 वर्ष आवृत्ति के Flood हेतु में नदी की चौड़ाई (सीमांकन) मी0 में	100 वर्ष आवृत्ति के Flood हेतु में नदी की चौड़ाई (सीमांकन) मी0 में	सजरा के अनुसार नदी की चौड़ाई मी0 में।	सजरे के अनुसार नदी की चौड़ाई में हो रही कमी (प्रतिशत में)
1	R/357	17.85	28	30	-	-
2	L/368	18.40	18	18	-	-
3	एम0डी0डी0ए0 पुल R/379	18.95	15	16	100	86
4	अपर राजीव नगर पुल R/412	20.60	40	40	80	50
5	रिस्पना पुल L/432	21.60	35	48	76	37
6	रेलवे पुल L/446	22.30	98	100	92	-
7	रेलवे पुल L/446	22.30	98	100	92	-
8	रामनगर/R-466	23.30	34	34	96	65
9	सचिवालय कालोनी /R-486	24.30	47	70	100	30
10	नई बस्ती ब्रिज/R-536	26.80	50	68	120	46

उपरोक्त सारणी में यह पाया गया कि सजरे के अनुसार रिस्पना नदी में सीमांकन होने पर नदी की चौड़ाई में लगभग 30 से 86 प्रतिशत की कमी हो रही है। सीमांकन के पश्चात् नदी की चौड़ाई में हुई कमी के पश्चात् 25 साल एवं 100 साल की बाढ़ आवृत्ति में आने वाले Flood के Hydraulic Parameter यथा Discharge Density, Velocity, River Gradient, Scourdepth आदि का अध्ययन यदि आपके द्वारा पूर्ण करा लिया गया हो, तो उसकी पूर्ण रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त यह भी संज्ञान में लाना है कि रिस्पना नदी में नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न विभागो यथा सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, नगर निगम, जल निगम, जल संस्थान, विधायक निधि आदि के द्वारा समय-समय पर बाढ़ सुरक्षा कार्य कराये गये है। इस प्रकार जिन स्थलो पर दीवार का निर्माण किया गया है एवं जिन स्थलो पर दीवार का निर्माण कार्य नहीं किया गया, वहां पर 25 एवं 100 वर्ष की Flood Frequency से नदी की चौड़ाई में अत्यधिक भिन्नता आ रही है, जिसकी व्यवहारिकता का परीक्षण यदि कन्सलटेन्ट द्वारा कर लिया गया हो, तो पुनः अनुरोध है कि उक्त के सम्बन्ध में पूर्ण रिपोर्ट हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे प्रकरण उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जा सकें।

संलग्नक:- सजरा शीट की छायाप्रति।

अधिसासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
o/c देहरादून

पत्रांक:- 1310 / अ0नि0ख0दे0 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद ।
3. सहायक अभियन्ता- तृतीय व सप्तम, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून को कमशः उनके पत्रांक-84 / स0अ0-111 / अ0नि0ख0दे0 / FPZ, दिनांक 24.05.2024 एवं पत्रांक-56 स0अ0-VII / अ0नि0ख0दे0 / FPZ, दिनांक 24.05.2024 के कम में।

अधिसासी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
o/c देहरादून

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड,
देहरादून।

प्रेषित,

जिला अधिकारी,
देहरादून।

पत्रांक:- 1320 /अ0नि0ख0दे0/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण/
विषय:- रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का सीमांकन करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- आपके कार्यालय पत्रांक 50/RBC-2024, दिनांक 13 मई 2024
महोदया,

दिनांक:- 25/5/2024

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि अधिशारी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत रिस्पना नदी के चैनज-9.800 कि०मी० से 27.300 कि०मी० तक का बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का अध्ययन कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सीमांकन करने हेतु भेजी गई कन्सलटेन्ट टीम के साथ इस खण्ड के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में कन्सलटेन्ट टीम के द्वारा 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (निर्वन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फील्ड में सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिषिद्ध एवं निर्वन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसंस्थियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाना है। जिस हेतु जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद व इस खण्ड के साथ सम्बन्धित विभिन्न विभाग यथा राजस्व विभाग, नगर निगम देहरादून, देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के सहयोग की नितान्त आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध एवं निर्वन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसंस्थियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाने हेतु अपने स्तर से उक्त समस्त विभागों को निर्देशित करने एवं समिति गठित करने की कृपा करें, एवं इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद को भू-अभिलेख कार्यालय से सजरा एवं खसरा की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु भू-अभिलेख कार्यालय को भी निर्देशित करने की कृपा करें।

अधिशारी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून
०/८ २

पत्रांक:- 1320 /अ0नि0ख0दे0/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण/तददिनांक:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद।
3. अधिशारी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद को उनके पत्रांक-415/ज0वि0ख0/FPZ दिनांक 15.05.2024 के कम में इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार सजरा सीट में 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (निर्वन्धित क्षेत्र) को निर्धारित/अंकन करने का कष्ट करें।
4. सहायक अभियन्ता-नृतीय, पंचम एवं सप्तम अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।

अधिशारी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून
०/८ २

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड,
देहरादून।

प्रेषित,

जिला अधिकारी,
देहरादून।

पत्रांक:- 1320 /अ0नि0ख0दे0/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण/

विषय:- रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का सीमांकन करने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ:- आपके कार्यालय पत्रांक 50/RBC-2024, दिनांक 13 मई 2024

दिनांक:- 25/5/2024

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि अधिशारी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत रिस्पना नदी के चैनेज-9.800 कि०मी० से 27.300 कि०मी० तक का बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण का अध्ययन कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सीमांकन करने हेतु भेजी गई कन्सलटेन्ट टीम के साथ इस खण्ड के सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता की उपस्थिति में कन्सलटेन्ट टीम के द्वारा 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (निर्बन्धित क्षेत्र) का फील्ड में सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फील्ड में सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसंपत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाना है जिस हेतु जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद व इस खण्ड के साथ सम्बन्धित विभिन्न विभाग यथा राजस्व विभाग, नगर निगम देहरादून, देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के सहयोग की नितान्त आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के अन्तर्गत प्रतिषिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसंपत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाने हेतु अपने स्तर से उक्त समस्त विभागों को निर्देशित करने एवं समिति गठित करने की कृपा करें, एवं इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद को भू-अभिलेख कार्यालय से सजरा एवं खसरा की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराये जाने हेतु भू-अभिलेख कार्यालय को भी निर्देशित करने की कृपा करें।

अधिशारी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

पत्रांक:- 1320 /अ0नि0ख0दे0/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अधीक्षण अभियन्ता, परियोजना मण्डल, देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, जल विज्ञान मण्डल, बहादुराबाद।
3. अधिशारी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद को उनके पत्रांक-415/ज0वि0ख0/FPZ दिनांक 15.05.2024 के कम में इस आशय के साथ प्रेषित है कि कृपया बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्राविधानों के अनुसार राजरा सीट में 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (प्रतिषिद्ध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा (निर्बन्धित क्षेत्र) को निर्धारित/अंकन करने का कष्ट करें।
4. सहायक अभियन्ता-तृतीय, पंचम एवं सप्तम अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड, देहरादून।

अधिशारी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून



:- आदेश :-

अभियन्ता अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून के पत्र संख्या 1320/अनुसंधान/महा
पैदान परिक्षेत्र दिनांक 25.05.2024 के द्वारा जल विज्ञान विभाग, महादरावाद के द्वारा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रिपन नदी के बेनेन 9500 मिमी से 27200
मिमी तक का वाद पैदान परिक्षेत्र का अध्ययन कार्य पूर्ण करने के उपरान्त सीमांकन कार्य हेतु नदी बर्ड
कन्सल्टेंट टीम के साथ इस खण्ड के सम्बन्धित सामग्री अभियन्ता एवं अपर सहायक अभियन्ता की
समस्थिति में कन्सल्टेंट टीम के द्वारा 25 वर्षीय वाद आयुक्ति की सीमा (प्रतिषेध क्षेत्र) एवं 100 वर्षीय वाद
आयुक्ति की सीमा (निर्मित क्षेत्र) का फील्ड व सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। फील्ड में
सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त वाद पैदान परिक्षेत्र अधिनियम-2012 के प्रावधानों के
अनुसार प्रतिषेध एवं निर्मित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिस्थितियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया
जाना है, जिस हेतु जल विज्ञान खण्ड महादरावाद व इस खण्ड के साथ सम्बन्धित विभिन्न विभाग तथा
राजस्व विभाग, नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण एवं नगर निगम के सहयोग प्राप्त
किया जाना है। सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त वाद पैदान परिक्षेत्र अधिनियम 2012 के
प्रावधानों के अनुसार प्रतिषेध एवं निर्मित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिस्थितियों के स्वामियों का विवरण
तैयार किये जाने हेतु निम्न प्रकार अपेक्षित विभागों की संयुक्त टीम का गठन किया जाता है-

- 01:- सहायक मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण, देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
- 02:- नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
- 03:- प्रभागीय कनाधिकारी, नगर प्रभाग देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
- 04:- उप जिलाधिकारी (सादर) देहरादून (द्वारा नामित प्रतिनिधि)।
- 05:- अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, महादरावाद (आईओआरआई रुडकी) देहरादून।
- 06:- अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून।

अतः उपरोक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है, कि वह पर्याप्त वाद पैदान
परिक्षेत्र अधिनियम-2012 के प्रावधानों के अनुसार प्रतिषेध एवं निर्मित क्षेत्रों में आने वाली समस्त
परिस्थितियों के स्वामियों का विवरण तैयार कर अनुपालन आख्या/रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने
सुनिश्चित करें।

दिनांक- 03.06.2024

(Handwritten signature)

उप
विभागीय
निर्देशिका
देहरादून

कमालिय जिलाधिकारी देहरादून।

संख्या 12) /एलओसीओ-2024

निम्नांकित को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी महादरावा को सादर सूचनाएँ।

02:- उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्रधिकरण, देहरादून।

03:- नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून।

04:- प्रभागीय कनाधिकारी, नगर प्रभाग देहरादून/मसूरी।

05:- उप जिलाधिकारी (सादर) देहरादून।

06:- अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, महादरावाद (आईओआरआई रुडकी) देहरादून।

07:- अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून।

दिनांक 06.06.2024

(Handwritten signature)

प्रपत्र सं०-1012/आर०सी/2024

दिनांक-21.06.2024

1. राजस्व उपनिरीक्षक, चागासारी (मो० 6395575065)
2. राजस्व उपनिरीक्षक, जाखन (मो० 9368964692)
3. राजस्व उपनिरीक्षक, चालंग (मो० 9456517064)
4. राजस्व उपनिरीक्षक, गुजराडा गानसिंह (मो० 8279451933)
5. राजस्व उपनिरीक्षक, अधोईवाला (मो० 8279510757)
6. राजस्व उपनिरीक्षक, बट्टीपुर (मो० 9412381385)
7. राजस्व उपनिरीक्षक, अजबपुरकलां (मो० 9719422712)

जिलाधिकारी महोदया के आदेश 121/एल०बी०सी०-2024 दिनांक 06.06.2024 के द्वारा बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम-2012 के प्राविधानों के अनुसार रिस्पना नदी का प्रतिपिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसंपत्तियों के स्वामियों का विवरण तैयार किया जाना है जिस हेतु जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद व अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून के साथ सम्बन्धित विभिन्न विभाग यथा राजस्व विभाग, नगर निगम देहरादून, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण एवं वन विभाग के सहयोग द्वारा किया जाना है।

अतः जिलाधिकारी महोदया के आदेश के क्रम में उपरोक्त टीम का गठन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद (आई०आर०आई० रुड़की) हरिद्वार व अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून के साथ समन्वय कर वांछित विवरण अतिशीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार (सदर)
देहरादून।

प्रतिलिपि :- अधिशासी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड बहादुराबाद (आई०आर०आई० रुड़की) हरिद्वार व अधिशासी अभियन्ता, अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी को समस्त अभिलेखों सहित उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण में प्रतिभाग करने हेतु आदेशित करने का कष्ट करें।

तहसीलदार (सदर)
देहरादून।

Recd
AC-11

AC-11

AC-11

प्रेषक,

अधिशारी अभियन्ता,
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड,
देहरादून।

प्रेषित,

1. उपाध्यक्ष देहरादून मरूरी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
2. नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून
3. प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, देहरादून।
4. उप जिलाधिकारी, (सदर), देहरादून
5. अधिशारी अभियन्ता, जल विज्ञान खण्ड, बहादुराबाद, (आई0आर0आई0 रुडकी)।

पत्रांक:- 1139/अ0नि0ख0दे0/

दिनांक:- 10/11/2024

विषय:- रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-जिलाधिकारी महोदय के पत्र-1012/आर0सी0/2024/दिनांक 21.06.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि वर्तमान में देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत रिस्पना नदी के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण में फील्ड में सीमांकन/निशान का कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिसिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्रों में आने वाली समस्त परिसम्पत्तियों के स्वामियों का विवरण निम्न राजस्व उपनिरीक्षकों द्वारा तैयार किया जा रहा है।

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. राजस्व उपनिरीक्षक, चामासारी | मो0-6395575065 |
| 2. राजस्व उपनिरीक्षक, जाखन | मो0-9368964692 |
| 3. राजस्व उपनिरीक्षक, चालांग | मो0-9456517064 |
| 4. राजस्व उपनिरीक्षक, गुजराडा मानसिंह | मो0-8279451933 |
| 5. राजस्व उपनिरीक्षक, अधोईवाला | मो0-8279510757 |
| 6. राजस्व उपनिरीक्षक, बद्रीपुर | मो0-9412381385 |
| 7. राजस्व उपनिरीक्षक, अजवपुर कला | मो0-9719422712 |

अतः आपसे अनुरोध है कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के प्रतिसिद्ध एवं निर्बन्धित क्षेत्र में आने वाली अपनी भूमि के सम्पत्तियों का विवरण सम्बन्धित राजस्व उपनिरीक्षकों को देने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे की बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के कार्य को ससमय पूर्ण किया जा सके।

48
अधिशारी अभियन्ता
अनुसंधान एवं नियोजन खण्ड
देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग-2
संख्या-1433/11-2014/06(103)/2013
देहरादून : दिनांक 6 जुलाई, 2015

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 (अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) में निहित प्राविधानों के अधीन संगत अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की अध्यक्षता में बाढ़ परिक्षेत्रण के कियान्वयन प्रयोजनार्थ निम्नवत् समिति गठित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी - अध्यक्ष
2. राजस्व विभाग का एक प्रतिनिधि - सदस्य
(जिन्हें जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा)
3. जिले की सीमा में बाढ़ क्षेत्रानुसार कार्यरत
सिंचाई विभाग के समस्त अधिशासी अभियन्ता
(जिला मुख्यालय पर पदस्थापित अधिशासी अभियन्ता
को नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा) - सदस्य
4. नगर निकाय के समूह "ख" व उससे उच्च अधिकारी - सदस्य
5. जिले की सीमा में बाढ़ क्षेत्रानुसार कार्यरत
वन विभाग के समस्त प्रभागीय वनाधिकारी - सदस्य
6. जनपदों में स्थापित/कार्यरत यथार्थिथि विकास
प्राधिकरण/अन्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, - सदस्य

उक्त समिति बाढ़ मैदान परिक्षेत्र का सर्वेक्षण/चित्रण का अन्तिमीकरण कर बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारियों/जिलाधिकारियों का अनुमोदन प्राप्त कर विहित रीति से अपना प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेसित करेगा।

(आनन्द बर्दान)
सचिव।

पृ० संख्या- 1472 / II-2014 / 06 (103) / 2013 तददिनांकित।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, (अवरथापना/एफ0आर0डी0सी0) उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
6. सचिव, आवास/शहरी विकास को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधिनस्थ प्राधिकरणों को सूचित/उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
7. आयुक्त गढ़वाल/कुमाँऊ पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
10. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को समस्त प्रभागीय वनाधिकारियों को सूचित/उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
11. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग को इस आशय से कि उक्त अधिसूचना को समस्त अधिशासी अभियन्ताओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. निदेशक, शहरी एवं नगरीय विकास को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को समस्त नगर निकाय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भागीरथी नदी घाटी विकास प्राधिकरण, देहरादून।
14. निदेशक एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून।
15. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण खण्ड के भाग-4 में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री उत्तराखण्ड सरकार।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
संयुक्त सचिव।

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

दिनांक 25/04/2024

आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में निर्देशित किया गया है कि "We further direct the Secretary, Environment, Uttarakhand, State Pollution Control Board, the collector and Municipal commissioner to take immediate action for removal of encroachment from the public land/river body and to ensure the compliances of the environment act. Public property cannot be made subject of encroachment."

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 273/XXXVI/(3)/2018/53(1)/2018 देहरादून, 26 जुलाई 2018 "उत्तराखण्ड (नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान) अध्यादेश 2018" तथा अधिसूचना संख्या-264/XXXVI/(3)/2021/55(1)/2021 देहरादून, 24 सितम्बर 2021 "उत्तराखण्ड नगर निकायों एवं प्राधिकरणों हेतु विशेष प्राविधान (संसोधन) विधेयक, 2021" के अध्याय-2 राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही एवं निर्देश देने की शक्ति की धारा-4 में प्रवर्तन को स्थगित किये जाने का उल्लेखित है, अध्यादेश के प्रवृत्त होने से 6 वर्ष तक कोई दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। शासनादेश संख्या-श0वि0-2016-25(सा)/2014 देहरादून, दिनांक 30 सितम्बर 2016, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन तथा उससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली, 2016 के बिन्दु सं0-14 निषेध तथा दण्डात्मक प्रक्रिया में "राज्य सरकार की भूमि पर दिनांक 11.03.2016 के पश्चात् किया जाने वाला कोई भी कब्जा दण्डनीय अपराध होगा"।

उपरोक्त के क्रम में नगर निगम सीमान्तर्गत नदियों के किनारे अतिक्रमण चिन्हित किये जाने हेतु निम्नानुसार टास्क फोर्स गठित की जाती है:-

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. अपर नगर आयुक्त | - | अध्यक्ष |
| 2. पुलिस अधीक्षक (नगर) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 3. उप जिलाधिकारी (सादर) अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 4. उप नगर आयुक्त (भूमि) / कर अधीक्षक | - | सदस्य |
| 5. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 6. अधीक्षण अभियन्ता, पेयजल विभाग, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 7. अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत विभाग, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 8. अधीक्षण अभियन्ता, जल संस्थान, देहरादून अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि | - | सदस्य |
| 9. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून | - | सदस्य |

उक्तानुसार गठित समिति मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अतिक्रमण चिन्हित करते हुए एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करेंगी, ताकि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का दिनांक 25.07.2023 का अनुपालन ससमय किया जा सके। प्रकरण में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक 13.05.2024 नियत है। इसमें किसी भी प्रकरण की लापरवाही/विलम्ब के लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव महोदय, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक महोदय, शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी/प्रशासक महोदय, देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपरोक्तानुसार समस्त अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

नगर आयुक्त,
नगर निगम देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित सख्या-417/2022 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 एवं 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अतिक्रमण हटाने का विवरण

क्र0 सं0	अतिक्रमणकर्ता का नाम एवं पता	क्षेत्र/बस्ती का नाम	अतिक्रमण का प्रकार	अतिक्रमण का वर्ष	अतिक्रमण किस दिनांक को हटाया गया है।
1	3	4	7	8	15
1	रानी पत्नी विजय कुमार	बारी घाट नई बस्ती	टीन पोश	03.09.2019	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
2	नवाब पुत्र शकील	बाडीगार्ड नई बस्ती	पक्का लिन्टर टीन पोश	01.10.2022	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
3	राहुल पुत्र विरेन्द्र	बाडीगार्ड नई बस्ती	टीन पोश	13.11.2017	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
4	मौ0 अनीश/इरशाद पुत्र चमन	बाडीगार्ड नई बस्ती	पक्का लिन्टर	12.08.2022	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
5	सावित्री पत्नी धिरेन्द्र रावत	बाडीगार्ड नई बस्ती	पक्का लिन्टर	2017 से	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
6	अजय कुमार पुत्र प्रवीन सिंह	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	11.01.2017	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
7	नासिर पुत्र रमजानी	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	02.01.2018	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
8	चन्द्रपाल पुत्र कचडू	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	20.09.2022	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
9	दिनेश कुमार पुत्र राम सिंह	बाडीगार्ड नई बस्ती	लिन्टर पोश	03.03.2017	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
10	मोनु कुमार पुत्र नरेश कुमार	बाडीगार्ड नई बस्ती	टीन पोश	20.07.2018	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
11	विपिन पुत्र शिवचरण	बाडी गार्ड जाखन	टिन शेड आवास	24.05.2018	दिनांक 06.06.2024 को हटा दिया गया है।
12	अज्ञात.	चन्दर रोड	खाली		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
13	प्रशान्त शर्मा व राहुल शर्मा	चन्दर रोड	टिन शेड फेमिली रेस्टोरेन्ट	2018	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

अधिकारी
प्रधान सिंह
कर निरीक्षक
भे अन्वय
गम (देहरादून)

Pos

Hand

Hand

(अधिकारी दत्त भट्ट)
गठ0नि0 (भूमि)
भारत निगम, देहरादून

Hand

Hand

14	प्रशान्त शर्मा व राहुल शर्मा	चन्दर रोड़	खाली भूमि प्लाटिंग किया गया है।	2018	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
15	विरेन्द्र सिंह पुत्र मुरली सिंह	संजय कालोनी नेमी रोड़ बस्ती	खाली प्लाट शौचालय बना है।		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
16	महेन्द्र सिंह पुत्र प्यारे लाल	भाग-2 पूरन बस्ती	गौसाला		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
17	खाली प्लाट निगम	भाग-2 पूरन बस्ती	खाली प्लाट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
18	खाली प्लाट निगम	संजय कालोनी नेमी रोड़ बस्ती	खाली प्लाट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
19	प्रेमा देवी पत्नी राजेश रावत श्री जगदीश प्रसाद	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
20	दीपक पुत्र ढाकुर सिंह	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
21	गुडडी देवी पत्नी विरेन्द्र सिंह	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
22	राकेश कोहली पुत्र देवेन्द्र	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
23	उर्मिला कोठारी पुत्र स्व0 भगत राम कोठारी	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
24	सुरेन्द्र सिंह बिष्ट पुत्र खुशाल सिंह बिष्ट	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
25	वेद भूषण डोन्डियाल पुत्र गोविन्द राम डोन्डियाल	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
26	सुरेन्द्र सिंह रावत पुत्र त्रिलोका सिंह रावत	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

27	ओम प्रकाश सुन्दरियाल पुत्र परसादी लाल सुन्दरियाल	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
28	अरविन्द सिंह रावत पुत्र भगवान सिंह रावत	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
29	अज्ञात	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी	खाली प्लाट चार दिवार	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
30	के०के० बहुखण्डी	चन्दर रोड़	दुकान	दुकान	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
31	के०के० बहुखण्डी	चन्दर रोड़	खाली प्लाट	खाली प्लाट	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
32	माया मोहन पैन्चुली पुत्र बृज मोहन पैन्चुली	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी	खाली प्लाट चार दिवार	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
33	सुशील गीमान पुत्र मनमोहन लाल गीमान	चन्दर रोड़	खाली प्लाट चारदीवारी	खाली प्लाट चार दिवार	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
34	राम अवध पुत्र राम नाथ	नई बस्ती बलबीर रोड़	आवासीय टीन पोश		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
35	इमरान पुत्र फरज अली	लोअर राजीव नगर बस्ती	टीन शैड		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
36	बृजराज पुत्र बृजभान	लोअर राजीव नगर बस्ती	गौशाला		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
37	सोनू सुन्दरियाल पुत्र अज्ञात	बलबीर रोड़ लास्ट	खोका (टीन का)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
38	बिटटू पंवार पुत्र कुक्कन सिंह	बलबीर रोड़ लास्ट	खोका (टीन शैड)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
39	असमा परवीन पत्नी मौ० खालिद	भगत सिंह कालोनी	खोका (टीन शैड)		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

अधीपति सिंह
का कर निरीक्षक
भूमि अधिग्रहण
नगर निगम (देहरादून)

विमोद कुमार मदानो
का निरीक्षक
भूमि अधिग्रहण, नगर निगम, देहरादून

विमोद कुमार मदानो
(सहायक निरीक्षक)
गा.प.०/नि.० (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

विमोद कुमार मदानो
(सहायक निरीक्षक)
गा.प.०/नि.० (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

40	संजीव पुत्र श्री घासी राम	नाला पार्क रोड़	टीन पोस्ट	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
41	सचिन सोनकर पुत्र अशोक सोनकर	खटिक मौहल्ला	पक्का टीन पोस्ट मकान	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
42	धीरज पुत्र श्री गुलशन कुमार	114 ओल्ड डालनवाला	पक्का टीन पोस्ट (सुअर बाड़ा)	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
43	कमला देवी	ओल्ड वालमिकी बस्ती डालनवाला	पक्का ईट की दीवार टीन पोस्ट	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
44	जयपाल पुत्र फकीरा	114 ओल्ड डालनवाला वालमिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
45	पप्पू पुत्र बिठल	114 ओल्ड डालनवाला वालमिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
46	कमला पत्नी छोटे लाल	114 ओल्ड डालनवाला वालमिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
47	अनिल कुमार पुत्र छोटे लाल	114 ओल्ड डालनवाला वालमिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
48	बृजेश कुमार	114 ओल्ड डालनवाला वालमिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट, बाथरूम	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
49	बृजेश कुमार	114 ओल्ड डालनवाला वालमिकी बस्ती	नदी पर पक्का फर्श	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
50	रजत पुत्र वेद प्रकाश	114 ओल्ड डालनवाला वालमिकी बस्ती	पक्का सुअर बाड़ा	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
51	जयराम पुत्र बनवारी लाल	114 ओल्ड डालनवाला वालमिकी बस्ती	पक्का टीन पोस्ट (सुअर बाड़ा)	दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।

त्रिभुवन सिंह
को कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (विशालन)

का निरीक्षक

(सहायक नगर-महंटा)
नगर निगम (भूमि)

52	राहुल पुत्र लाल चन्द	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
53	नन्द किशोर पुत्र तुलसी महतो	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
54	पंकज पुत्र जिया लाल यादव	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
55	लेदा पुत्र सोरा	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	बाथरूम लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
56	सुन्दर राम पुत्र किशोरी राम	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	झोपड़ी		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
57	राजेन्द्र सरजू पुत्र बेगन	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	झोपड़ी एवं लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
58	सचिन पुत्र श्री रामपाल	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	लेंटर पोस्ट		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
59	रामकिशोर पुत्र राम चरण	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	टीन शैड		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
60	महेन्द्र पाल पुत्र श्री इवतारी	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	टीन शैड		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
61	मुकेश कुमार पुत्र श्री हरचरण	चूना भट्टा शास्त्रीनगर	कच्चा		दिनांक 27.05.2024 को हटा दिया गया है।
62	टीकमराम पुत्र रामचरण	दीपनगर	टीन शैड	2021	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।

महोदय
 अधिपति सिंह
 को कर निरीक्षक
 भूमि अनुभाग
 नगर विकास (देहरादून)

विभागाध्यक्ष
 का निरीक्षक

भूमि अनुभाग, नगर विकास, देहरादून

राजेश कुमार (अधीक्षक)
 नगर विकास, देहरादून

63	दयाल सिंह ठाकुर	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
64	सुरेश कुमार पुत्र सन्त लालदास	दीपनगर	लैण्टर पोश	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
65	नामालूम	दीपनगर	लैण्टर पोश निर्माणाधीन	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
66	दिग्गी पुत्र चन्द्र पाल सिंह	दीपनगर	पक्का लैण्टर	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
67	राकेश पुत्र बचान	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
68	सोनू शर्मा पुत्र मांगेराम	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।
69	रविकुमार पुत्र चतुर सिंह	दीपनगर	टीन पोश पक्का	2023	दिनांक 28.05.2024 को हटा दिया गया है।

विनोद कुमार नयानी
कम निरीक्षक
भूमि अनुभाग, नगर निगम, देहशदून

ऋषिपाल सिंह
क0 कर निरीक्षक
भूमि अनुभाग
नगर निगम (देहशदून)

राहुल केशव
कम निरीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहशदून

राहुल केशव
कम निरीक्षक (भूमि)
नगर निगम, देहशदून

8

429 कार्यवृत्त

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशा दिनांक- 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उपनगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 22.05.2024 कार्यालय नगर निगम देहरादून में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति का विवरण :-

1. श्री भगवती प्रसाद रतूड़ी, तहसीलदार, नगर निगम देहरादून।
2. श्री राहुल कैंथोला, कर अधीक्षक(भूमि), नगर निगम देहरादून।
3. श्री आत्मा राम सैनी, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम देहरादून।
4. श्री शम्भूनाथ गांगूली, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम देहरादून।

बैठक में चर्चा का विषय:

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशा दिनांक- 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रेषित नोटिस के क्रम में प्राप्त आपत्तियों का परीक्षण के सम्बन्ध में।

1. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022, दिनांक 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.05.2024 से टास्क फोर्स द्वारा अभियान लगाकर उक्त अवैध अतिक्रमण/कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
2. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि गठित टास्क फोर्स में 5 टीमों द्वारा सर्वे किया गया। जिसमें 89 अवैध अतिक्रमण नदी श्रेणी नगर निगम भूमि पर पाये गये। अवैध अतिक्रमणकारियों को 07 दिन का नोटिस प्रेषित करते हुए सूचित किया गया कि अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटालें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा।
3. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि 89 अवैध अतिक्रमण टीम संख्या-2 जाखन काठबंगला से कण्डोली तक, टीम संख्या-4 अधोईवाला से अजबपुरकलां की सीमा तक एवं टीम संख्या-5 अजबपुरकलां से नौका मोथरोवाला की सीमा तक से सम्बन्धित पाये गये।
4. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 89 अवैध अतिक्रमणों के सापेक्ष 42 आपत्तियां कार्यालय को प्राप्त हुई।
5. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा तहसीलदार, नगर निगम देहरादून को प्राप्त 42 आपत्तियों का दिनांक 11.03.20216 से पूर्व निवास/कब्जा सम्बन्धी साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया।
6. बैठक में तहसीलदार, नगर निगम देहरादून अवगत कराया गया कि प्राप्त 42 आपत्तियों का परीक्षण के उपरान्त 15 कब्जेदारों द्वारा दिनांक 11.03.20216 से पूर्व निवास/कब्जा सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जो सही पाये गये तथा शेष 74 कब्जेदारों द्वारा दिनांक 11.03.20216 से पूर्व का कोई भी अभिलेखिय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपनगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

पत्रांक : 1849/भूमि अनुभाग/2024
दिनांक : 22/05/2024

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

उपनगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक- 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में उपनगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 05.06.2024 को कार्यालय नगर निगम देहरादून में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति का विवरण :-

1. श्री भगवती प्रसाद रतूड़ी, तहसीलदार, नगर निगम देहरादून।
2. श्री राहुल कैंथोला, कर अधीक्षक(भूमि), नगर निगम देहरादून।
3. श्री आत्मा राम सैनी, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम देहरादून।
4. श्री शम्भूनाथ गांगूली, राजस्व निरीक्षक, नगर निगम देहरादून।

बैठक में चर्चा का विषय:

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022 निरंजन बागछी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक- 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रेषित नोटिस के क्रम में मा0 मंत्री महोदय, उत्तराखण्ड शासन द्वारा नगर निगम देहरादून को प्रेषित आपत्तियों का परीक्षण के सम्बन्ध में।

1. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-417/2022, दिनांक 25.07.2023 व 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 27.05.2024 से टास्क फोर्स द्वारा अभियान लगाकर उक्त अवैध अतिक्रमण/कब्जे को हटाने की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
2. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि गठित टास्क फोर्स में 5 टीमों द्वारा सर्वे किया गया। जिसमें 89 अवैध अतिक्रमण नदी श्रेणी नगर निगम भूमि पर पाये गये। अवैध अतिक्रमणकारियों को 07 दिन का नोटिस प्रेषित करते हुए सूचित किया गया कि अपना अतिक्रमण/कब्जा मौके से हटालें अन्यथा उक्त अतिक्रमण/अवैध कब्जे को हटा दिया जायेगा।
3. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि 89 अवैध अतिक्रमण टीम संख्या-2 जाखन काठबंगला से कण्डोली तक, टीम संख्या-4 अधोईवाला से अजबपुरकलां की सीमा तक एवं टीम संख्या-5 अजबपुरकलां से नौका मोथरोवाला की सीमा तक से सम्बन्धित पाये गये।
4. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि कुल 89 अवैध अतिक्रमणों के सापेक्ष 58 अतिक्रमण तोड़े जा चुके हैं शेष 31 अतिक्रमणकारियों में से 28 द्वारा पुनः आपत्तियां/अभिलेख कार्यालय को प्राप्त हुई।
5. बैठक में उपनगर आयुक्त महोदय द्वारा तहसीलदार, नगर निगम देहरादून को प्राप्त 28 आपत्तियां/अभिलेख का दिनांक 11.03.20216 से पूर्व निवास/कब्जा सम्बन्धी साक्ष्यों का गहनता से परीक्षण हेतु निर्देशित किया गया।
6. बैठक में तहसीलदार (से0नि0), नगर निगम देहरादून अवगत कराया गया कि प्राप्त 28 आपत्तियां/अभिलेखों का परीक्षण के उपरान्त 20 कब्जेदारों द्वारा दिनांक 11.03.20216 से पूर्व निवास/कब्जा सम्बन्धी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जो सही पाये गये तथा शेष 8 कब्जेदारों द्वारा दिनांक 11.03.20216 से पूर्व का कोई भी अभिलेखिय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया तथा 03 अतिक्रमणकारियों द्वारा कोई आपत्तियां/अभिलेख कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः 20 व्यक्तियों के अतिक्रमण को छोड़ते हुए शेष 11 अतिक्रमण जो 11.03.2016 के बाद निर्मित किए गए है जिसे हटाये जाने की संस्तुति गठित समिति के द्वारा प्रस्तुत की गयी है। उक्त अवशेष चिन्हित 11 अवैध अतिक्रमणों को टास्क फोर्स के माध्यम से हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

पत्रांक : 1888 / भूमि अनुभाग / 2024

प्रतिलिपि:-

1. नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. अपर नगर आयुक्त महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

दिनांक : 05/06/2024

उप नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

431

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित संख्या-417/2022 द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2023 एवं 13.05.2024 में दिये गये निर्देशों के क्रम में चिह्नित अतिक्रमण जो 11.03.2016 से पहले के है।

क्र0 सं0	अतिक्रमण कर्ता का नाम एवं पता	क्षेत्र/बस्ती का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा नं0	अतिक्रमण का प्रकार	क्षेत्रफल	प्राप्त अभिलेखों का विवरण
1	3	4	5	6	7	9	13
1	दीप्ती देवी पत्नी अजय कुमार राम	बारीघाट नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	24 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 24.02.2016 का तथा गैस कनेक्शन 24.06.2015 का बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र 07.04.2013 का है। जांच की गयी।
2	सतीश पुत्र हरीश चन्द्र	बारीघाट नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	52 वर्ग मी0	पानी का बिल 04.12.2012, 23.10.2013 का नगर निगम हाउस टैक्स 20.06.2018, का है।
3	सुनीता मिश्रा पत्नी दिवाकर मिश्रा	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	24 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 11.09.2010 का है।
4	रामफल सहानी पुत्र बलदेव	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	39 वर्ग मी0	बिजली का बिल 11.09.2013-22.09.2014 वोटर कार्ड 26.01.2012 का है।
5	सरला देवी पत्नी स्व. अर्मपाल	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	25 वर्ग मी0	बिजली का बिल 2018 का था,, स्थलीय जांच में मौके पर राशन कार्ड 11.06.2014 है और वोटर कार्ड 12.09.2013 का है।
6	अजय सैनी पुत्र सुरेन्द्र सिंह	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	पक्का लिन्टर टीन पोश	40 वर्ग मी0	वोटर कार्ड 19.04.2015, राशन कार्ड 23.01.2016 तथा बिजली बिल 14.03.2016 का है
7	आरिफ पुत्र अब्दुल गनी	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	टीन पोश	35 वर्ग मी0	02.04. 2014 का वोटर कार्ड है।
8	नरेश पुत्र भरत राम	बार्डीगार्ड नई बस्ती	जाखन	1121	पक्का लिन्टर पोश	98 वर्ग मी0	रू0-100 के स्टाम्प पर दिनांक 22.01.2009 को अवैध क्रय की गयी है। आंगन बाड़ी से टीकाकरण का 13.09.2012 प्रमाण दिया गया है।

शहरी विकास विभाग (आयुर्विभाग सेना)
क0 कर निरीक्षक राजस्व निरीक्षक
भूमि अनुभाग नगर निगम देहरादून नगर निगम देहरादून

शहरी विकास विभाग (भूमि)
नगर निगम, देहरादून

अंगदती प्रसाद जगड़ी
तहसीलदार
नगर निगम देहरादून